



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 13.06.2025

थाना कछवां पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 20 हजार का इनामियां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामियां/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना कछवां पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कछवां जनपद मीरजापुर पर दिनांक:03.06.2024 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-58/2024 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अपहृता को पूर्व में बरामद किया जा चुका है जबकि नामजद वांछित अभियुक्त तभी से फरार चल रहा था। थाना कछवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-58/2024 धारा 363,366,376,467,468,471 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक:13.06.2025 को उप-निरीक्षक राणा प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर ₹ 20 हजार के इनामियां फरार चल रहे वांछित अभियुक्त सुनील सोनकर पुत्र पकौड़ी सोनकर निवासी मझवां कजरहिया थाना कछवां जनपद मीरजापुर को पड़ेरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इनामियां अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

सुनील सोनकर पुत्र पकौड़ी सोनकर निवासी मझवां कजरहिया थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब- 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-58/2024 धारा 363,366,376,467,468,471 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

पड़ेरी पुलिया के पास से,आज दिनांक:13.06.2025 को समय 05.35 बजे ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक राणा प्रताप सिंह थाना कछवां, मीरजापुर ।

मुख्य आरक्षी अताउल्लाह खां थाना कछवां, मीरजापुर ।

